कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति
"विशिष्ट श्रेणी" (अनाज) कोटा (राज0)
(e-Mail : kums.kotagr@rajasthan.gov.in, Phone No. : 0744-2490674, 2490475)

क्रमांक : वन विभाग / 2024–2025 / दिनांक :

उप वन संरक्षक
नयापुरा, कोटा।

विषय :– भामाशाह कृषि उपज मण्डी विस्तार वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव FP/RJ/OTHERS/20036/2016 में राज्य सरकार द्वारा जारी EDS बाबत।

प्रसंग :– आपके कार्यालय का राजकाज संदर्भ 11743691 दिनांक 12.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भामाशाह कृषि उपज मण्डी विस्तार हेतु प्रस्तावित 96 है0 क्षेत्रफल में से mandatory green belt क्षेत्र को हटाकर कुल 35.50 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंषा की गई है, जिसमें पूर्व में अतिक्रमित निर्मित 24.07 है0 क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। इस प्रकार मण्डी विस्तार हेतु वास्तविक रूप से मात्र 11.43 है0 भूमि ही मिल सकेगी, जो मण्डी समिति विस्तार के लिए अपर्याप्त है। प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल में से mandatory green belt क्षेत्रफल 60.50 है0 पथरीला एवं चट्टानी इलाका होने के कारण उक्त वन भूमि पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना संभव नहीं है। मण्डी समिति द्वारा वन भूमि के बदले जिला प्रशासन द्वारा प्रत्यावर्तन गैर वन भूमि पर मण्डी समिति द्वारा ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने पर होने वाले व्यय या वन विभाग द्वारा ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर होने वाले व्यय का भुगतान मण्डी समिति द्वारा वन विभाग को किये जाने का प्रस्ताव निदेशालय कृषि विपणन जयपुर को अनुमोदन हेतु भिजवाया गया है। निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

कृपया मण्डी समिति विस्तार के लिए 96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का श्रम करावें।

(मनोज कुमार मीना)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा

Signature valid
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Designation : Secretary
Date: 2024.12.03 18:14:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12195550